आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –334 / 2022
संतोष कुमार
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
10.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 4920 / 2020 में दिनांक–24.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 24.08.2019 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"In view of the controversy raised and also in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under Sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause-36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, we direct that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 15 days, the Divisional Commissioner shall look into the matter and after hearing all the stakeholders, including respondent no. 6, shall pass a final order within a further period of 30 days, giving reasons in support of the decision taken by him."** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(i) दिनांक 13.12.2017 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसके आलोक में पुनरीक्षणकर्ता (श्री संतोष कुमार) एवं विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) द्वारा आवेदन समर्पित किया गया।

(ii) दिनांक 20.09.2018 को प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में पुनरीक्षणकर्ता (श्री संतोष कुमार) का नाम मेधा क्रमांक 01 पर था।

(iii) पुनरीक्षणकर्ता (श्री संतोष कुमार) और विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) दोनों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। पुनरीक्षणकर्ता का उम्र विपक्षी सं0–06 से अधिक है। अतएव अनुज्ञप्ति हेतु पुनरीक्षणकर्ता का चयन किया जाना चाहिए था।

(iv) परंतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) का चयन कर दिया गया, जो **''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016''** में निहित प्रावधान के विरूद्ध है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय गलत है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए।

विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) स्वयं उपस्थित होकर बताया की दोनों आवेदक (वादी एवं प्रतिवादी) का शैक्षणिक योग्यता समान होने एवं कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र धारित करने के कारण स्नातक में अधिक अंक होने के आधार पर विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) का चयन किया गया, जो उचित है।

उभय पक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलांतर्गत प्रखंड–छौड़ादानों, पंचायत–दरपा, आरक्षण कोटि–सामान्य के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की विक्रेता हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। पुनरीक्षणकर्ता (श्री संतोष कुमार) और विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) दोनों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है एवं कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र धारित करते है। **''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016''** की कंडिका 9(v) में अंकित है कि ***''उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।***

WEB COPY NOT OFFICIAL

कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।"

पुनरीक्षणकर्ता (श्री संतोष कुमार) की जन्म तिथि 24.02.1984 है। जबकि विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) की जन्म तिथि 15.08.1995 है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता (श्री संतोष कुमार) की उम्र विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) से अधिक है। फिर भी जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0–06 (श्री आलोक कुमार) का चयन किस आधार पर किया गया, इसका कोई साक्ष्य न तो निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध है और न ही उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा लिया गया निर्णय का आधार स्पष्ट नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि आवेदक, विपक्षी सं0–06 एवं सभी संबंधितो को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल निर्णय/मुखर आदेश पारित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL